3/11/20 पत्रावली पेश। वकील वादी उप./पत्रा. वास्ते जवाब सरकार दिनांक 23/12/20 को पेश हो।

23/12/20 पत्रावली पेश। वकील वादी उप./प्रतिवादी जवाब सर. दि. 24-3-21 को पेश हो।

24.3.21 पत्रावली पेश। वकील वादी उप./प्रतिवादी की ओर से आज भी जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः जवाब का हक बंद किया जाता है। वकील वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद डिग्री स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मैंने पत्रावली का गहनता से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख और हुक्म की तामील
	अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी, आधार कार्ड, राजस्व अभिलेख, नकल खसरा, आधार कार्ड, शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, शपथपत्र इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर उक्त साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। स्वीकार किया जाता है। विधिवत निर्णय पृथक से लिखा गया। जाय। दाखिल पत्रावली किया जाय। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 129/2020 तारीख दायरा 27.02.2020

उनवान

अशोक नाबालिग पुत्र धनराज जरियेवली माता सुनीताबाई पत्नी धनराज जाति किराड निवासी ग्राम कोटड़ी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

उपस्थित :—

श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण) दिनांक :— 24.03.2021

श्री सरकार पैरोकार

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की अन्य आराजी के साथ माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 313 के खसरा नं0 890 की 6.55 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी का नाम अशोक के स्थान पर गलत नाम आशिश दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार वादी के खाते व कब्जे काश्त की अन्य आराजी माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 186 खसरा नं0 713, 759, 760, 970, 971 कुल किता 5 की कुल 8.48 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा दर्ज है, तथा उक्त जमाबन्दी में वादी का वास्तविक व सही नाम अशोक अंकित है।

वाद [illegible] में वर्णित माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 313 के खसरा नं0 890 की 6.55 हैक्टर आराजी में वादी के वास्तविक नाम अशोक के स्थान पर घर का बोलता नाम आशिश अंकित हो गया है, जबकि वादी का वास्तविक नाम अशोक है, जिसकी पुष्टि माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद में खात सं0 नई 186 खसरा नं0 713, 759, 760, 970, 971 कुल किता 5 की कुल 8.48 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड से होती है।

वादी अशोक के वास्तविक नाम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में घर का बोलता नाम आशिश होने से वादी को अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि वादी का नाम आशिश नहीं होकर अशोक है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेज विद्यालय रिकार्ड, विद्यालय तरूण भारती सीनियर सैकण्ड्री स्कूल सांगोद का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण व आधार कार्ड में भी वादी का नाम अशोक है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में त्रुटि को दुरस्त करने के लिए पटवारी हलका से निवेदन किया तो उनके द्वारा उक्त दुरस्ती करने से मना कर दिया तथा माननीय न्यायालय से आदेश लागे की कही है। ऐसी स्थिति में वादी के लिए आवश्यक हो गया है, कि वह माननीय न्यायालय में घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत करके राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को सही करवाकर अपने हक में घोषणा करवाकर दुरस्ती करावें। जिसके लिए प्रसतुत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमाया जावे कि :–

वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की अन्य आराजी के साथ माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 313 के खसरा नं0 890 की 6.55 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के गलत नाम आशिश को दुरस्त कर अशोक दर्ज कर वादी के हक में घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी का जवाब बंद किया जाता है। वकील अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधि दस्तावेजात, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन व

मनन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 313 के खसरा नं0 890 की 6.55 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के गलत नाम आशिश को दुरस्त कर अशोक दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद